14

Form-I

(for linear Project)
Government of Uttarakhand
Office of the District Collector Bageshwar

No---Memo-2/2014 *Dated*---19.12.2014

To WHOMSOEVER IT MAY CONCERN

In Compliance of the Ministry of Environment and Forests (MoEF), Government of India's letter No- 11-9/ 98 FC(pt) dated 03 Aug, 2009 where in the MoEF issued guidelines on submission of evidences for having initiated and completed the process of settlement of rights under the Scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights) Act, 2006 ('FRA' for short) on the forest land proposed to be diverted for non-forest Purposes read with MoEF's letter dt. 5th Feb, 2013 wherein MoEF issued certain relaxation in respect of linear projects, it is certified that **4.949 hactares** of forest and proposed to be diverted in favour of **PUBLIC WORKS DEPARTMENT** for **Construction of Wajula-Mawai-Harinagri motor road** in **Bageshwar** district falls within jurisdiction of Mawai, Naugaon, Bunga, Harinagri Village in **Garur** Tehsil.

It is further certified that:-

(a) the complete process for identification and settlement of rights under the FRA has been carried out for the entire **4.949 hectares** of forest area proposed for diversion. A copy of records of all consultations and meetings of the Forest Rights Committee(s), Gram Sabha(s), Sub-Division Level Committee(s) and the District Level Committee are enclosed as annexure 23 to annexure 23.3 (**Not applicable as there are no habitats belonging to scheduled tribes and other traditional forest Dwellers.)**

(b) the diversion of forest land for facilities managed by the Government as required under section 3(2) of the FRA I have completed and the Gram Sabha have given their consent to it;------ (**Not applicable as there are no habitats belonging to scheduled tribes and other traditional forest Dwellers. No objection certificate of concerned villages regarding construction of aforesaid motor road is affixed in the forest file.)**

(c) the proposal does not involve recognized rights of Primitive Tribal Groups and Pre-agricultural communities. **Certificate prescribed in form 23-4 attached**.

Enclose – as above

Signature

Dated 19.12.2014

(Bhupal Singh Manral,)
District Collector
जिला अधिकारी बागेश्वर
Seal
(Full name and official seal of the District Collector)

प्रपत्र–23

परियोजना का नामः– एस0सी0पी0 के अन्तर्गत जनपद बागेश्वर में वज्यूला– मवई– हरिनगरी मोटर मार्ग निर्माण में प्रभावित होने वाली वनभूमि का लोक निर्माण विभाग को हस्तान्तरण किये जाने हेतु।

वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत अनापत्ति प्रमाण पत्र

ग्राम पंचायत का नाम – नौगांव
तहसील गरूड़ जिला बागेश्वर

अनापत्ति प्रमाण पत्र

जिला बागेश्वर उत्तराखण्ड में वज्यूला–मवई–हरिनगरी मोटर मार्ग (परियोजना) के निर्माण हेतु (1.939 है0 आरक्षित वन भूमि 0.00 है0 सिविल सोयम भूमि, 3.010 है0 वन पंचायत भूमि) अर्थात कुल 4.949 है0 वन भूमि का लोक निर्माण विभाग विभाग/संस्था के पक्ष में भारत सरकार, पर्यावरण एव वन मंत्रालय द्वारा प्रत्यावर्तित करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया।

उक्त प्रकरण के विषय में ग्राम पंचायत नौगांव द्वारा दिनांक 5/12/14 को उपस्थित सम्पन्न ग्राम सभा/ग्राम पंचायत की बैठक में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा आवेदित वन भूमि के सम्बन्ध में अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु विस्तृत चर्चा की गई। यह कि वन अधिकार अधिनियम 2006 के प्राविधानों के तहत् आवेदित वन भूमि में आदिवासी अथवा किसी गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य है अथवा नही। * उपस्थित सभी ग्रामवासियों द्वारा स्पष्ट किया गया कि उक्त वनभूमि में किसी भी आदिवासी अथवा गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य नही किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित वन भूमि पर ग्रामवासियों के परम्परागत अधिकारों का हनन नही हो रहा है।

चर्चा के उपरान्त ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया/प्रस्ताव पारित किया गया कि ग्राम नौगाव एवं तोक अठरों, झुपुरा, कट्यूड़ा के ग्रामवासियों को उक्त वन भूमि प्रयोक्ता एजेन्सी को परियोजना के निर्माण हेतु दिये जाने पर कोई आपत्ति नही है।

प्रमाणित किया जो सत्य एवं सही है

Goswami 22/12/14
ह0/
ग्राम सचिव
ग्राम पंचायत विकास अधिकारी
ग्राम पंचायत नौगांव
वि0ख0-गरूड़ (बागेश्वर)
उत्तराखण्ड

ग्राम्य विकास ... उत्तराखण्ड लो0 नि0 वि0 बागेश्वर

हीरासिंह कोरंगा
ह0/
ग्राम प्रधान
प्रधान
ग्राम पंचायत नौगांव, पो० कोट्यूड़ा
वि0ख0 गरूड जिला बागेश्वर

नोटः– * यदि किसी आदिवासी अथवा वनवासी की निजी भूमि प्रभावित हो रही है तो तद्नुसार उसका विवरण उक्त प्रपत्र में दिया जाय। उक्त प्रपत्र उप जिलाधिकारी की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा प्राप्त कर प्रयोक्ता एजेन्सी को उपलब्ध कराया जायेगा।

प्रपत्र–23.1

दिनाक 05.12.014 को ग्राम सभा की सम्पन्न बैठक की उपस्थिति

ग्राम पंचायत – नौगांव

क्र0 सं0	ग्राम सभा में उपस्थित वरिष्ठ ग्रामवासियों के नाम	हस्ताक्षर
1-	हरीशसिंह कुलेरा	हरीशसिंह कुलेरा
2-	सावन सिंह	सावनसिंह
3-	कुंवरसिंह	कुंवरसिंह
4-	नरराम	[illegible]
(5)	Pratap Singh	[illegible]
6-	त्रिलोक सिंह S/ भवान सिंह	[illegible]
7-	कुंवरसिंह कुरोला S/ हर सिंह	[illegible]
(8)	अमर सिंह S/ श्री. हरक सिंह	अमर सिंह
(9)	गीता देवी W/ बलवन्त सिंह	गीता
(10)	गीता देवी W/ गणेश सिंह	गीता देवी
(11)	धरम सिंह S/ गोपाल सिंह	[illegible]
(12)	चन्दन राम S/ धनीराम	[illegible]
(13)	किसन सिंह S/ शिव सिंह	Kisan
(14)	आनन्द सिंह S/ दीवान सिंह	आनन्दसिंह
(15)	केशर सिंह मोहन सिंह	Kehar

Goswami 22/12/14

ग्राम पंचायत विकास अधिकारी
ग्राम पंचायत नौगांव
वि०ख०-गरुड़ (बागेश्वर)
उत्तराखण्ड

हरीशसिंह कुलेरा
प्रधान
ग्राम पंचायत नौगांव, पो० कोटयूड़
वि०ख० गरुड जिला बागेश्वर

[illegible] बागेश्वर

प्रपत्र–23

परियोजना का नामः– एस0सी0पी0 के अन्तर्गत जनपद बागेश्वर में वज्यूला– मवई– हरिनगरी मोटर मार्ग निर्माण में प्रभावित होने वाली वनभूमि का लोक निर्माण विभाग को हस्तान्तरण किये जाने हेतु।

वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत अनापत्ति प्रमाण पत्र

ग्राम पंचायत का नाम – बूँगा
तहसील गरूड़ जिला बागेश्वर

अनापत्ति प्रमाण पत्र

जिला बागेश्वर उत्तराखण्ड में वज्यूला–मवई–हरिनगरी मोटर मार्ग (परियोजना) के निर्माण हेतु (1.939 है0 आरक्षित वन भूमि 0.00 है0 सिविल सोयम भूमि, 3.010 है0 वन पंचायत भूमि) अर्थात कुल 4.949 है0 वन भूमि का लोक निर्माण विभाग विभाग/संस्था के पक्ष में भारत सरकार, पर्यावरण एव वन मंत्रालय द्वारा प्रत्यावर्तित करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया।

उक्त प्रकरण के विषय में ग्राम पंचायत बूँगा द्वारा दिनांक 29/11/14 को सम्पन्न ग्राम सभा/ग्राम पंचायत की बैठक में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा आवेदित वन भूमि के सम्बन्ध में अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु विस्तृत चर्चा की गई। यह कि वन अधिकार अधिनियम 2006 के प्राविधानों के तहत् आवेदित वन भूमि में आदिवासी अथवा किसी गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य है अथवा नही। * उपस्थित सभी ग्रामवासियों द्वारा स्पष्ट किया गया कि उक्त वनभूमि में किसी भी आदिवासी अथवा गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य नही किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित वन भूमि पर ग्रामवासियों के परम्परागत अधिकारों का हनन नही हो रहा है।

चर्चा के उपरान्त ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया/प्रस्ताव पारित किया गया कि ग्राम बूँगा के ग्रामवासियों को उक्त वन भूमि प्रयोक्ता एजेन्सी को परियोजना के निर्माण हेतु दिये जाने पर कोई आपत्ति नही है।

प्रमाणित किया जो सत्य एवं सही है

ह0/	ह0/ महादेवी
ग्राम सचिव	ग्राम प्रधान
ग्राम पंचायत विकास अधिकारी, ग्राम पंचायत, विकासखण्ड – गरूड़ (बागेश्वर)	ग्राम पंचायत बूँगा, पो० कोटयूड़ा, वि०ख० गरूड़

नोटः– * यदि किसी आदिवासी अथवा वनवासी की निजी भूमि प्रभावित हो रही है तो तद्नुसार उसका विवरण उक्त प्रपत्र में दिया जाय। उक्त प्रपत्र उप जिलाधिकारी की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा प्राप्त कर प्रयोक्ता एजेन्सी को उपलब्ध कराया जायेगा।

प्रपत्र–23.1

दिनाक 29/11/21 को ग्राम सभा की सम्पन्न बैठक की उपस्थिति

ग्राम पंचायत – बूँगा

क्र0 सं0	ग्राम सभा में उपस्थित वरिष्ठ ग्रामवासियों के नाम	हस्ताक्षर
1)	श्रीमती सीता देवी	सीता देवी
2)	श्री कृष्णानन्द जोशी	[illegible]
3)	श्री प्रेमवल्लभ जोशी	[illegible]
4)	श्री नन्दन सिंह परिहार	[illegible]
5	श्रीमती लक्ष्मी देवी	लक्ष्मी देवी
6	गिरधर सिंह मेहरा	[illegible]
7)	श्री तेज सिंह	[illegible]
8)	श्री हुकुम सिंह	[illegible]
9)	" मोहन राम	[illegible]
10)	" शम्भू राम	शम्भू राम
11)	" बलवन्त सिंह	बलवन्त सिंह
12)	" प्रयाग दत्त	[illegible]
13	पदमसिंह	पदम
14	– दर्बान सिंह	[illegible]
16	– चंचल सिंह	[illegible]
17	– हरीश मेहरा	[illegible]

ग्राम पंचायत विकास अधिकारी
ग्राम पंचायत बूँगा
वि0ख0 – गरुड़ (बागेश्वर)
उत्तराखण्ड

महादेवी
प्रधान
ग्राम पंचायत बूँगा
पो0-कोदयूड़ा, वि0ख0गरूड़
जनपद-बागेश्वर

प्रपत्र–23

परियोजना का नामः– एस0सी0पी0 के अन्तर्गत जनपद बागेश्वर में वज्यूला– मवई– हरिनगरी मोटर मार्ग निर्माण में प्रभावित होने वाली वनभूमि का लोक निर्माण विभाग को हस्तान्तरण किये जाने हेतु।

वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत अनापत्ति प्रमाण पत्र

ग्राम पंचायत का नाम – अमस्यारी
तहसील गरूड़ जिला बागेश्वर

अनापत्ति प्रमाण पत्र

जिला बागेश्वर उत्तराखण्ड में वज्यूला–मवई–हरिनगरी मोटर मार्ग (परियोजना) के निर्माण हेतु (1.939 है0 आरक्षित वन भूमि 0.00 है0 सिविल सोयम भूमि, 3.010 है0 वन पंचायत भूमि) अर्थात कुल 4.949 है0 वन भूमि का लोक निर्माण विभाग विभाग/संस्था के पक्ष में भारत सरकार, पर्यावरण एव वन मंत्रालय द्वारा प्रत्यावर्तित करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया।

उक्त प्रकरण के विषय में ग्राम पंचायत अमस्यारी द्वारा दिनांक 29/11/014 को सम्पन्न ग्राम सभा/ग्राम पंचायत की बैठक में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा आवेदित वन भूमि के सम्बन्ध में अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु विस्तृत चर्चा की गई। यह कि वन अधिकार अधिनियम 2006 के प्राविधानों के तहत् आवेदित वन भूमि में आदिवासी अथवा किसी गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य है अथवा नही। * उपस्थित सभी ग्रामवासियों द्वारा स्पष्ट किया गया कि उक्त वनभूमि में किसी भी आदिवासी अथवा गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य नही किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित वन भूमि पर ग्रामवासियों के परम्परागत अधिकारों का हनन नही हो रहा है।

चर्चा के उपरान्त ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया/प्रस्ताव पारित किया गया कि ग्राम अमस्यारी के ग्रामवासियों को उक्त वन भूमि प्रयोक्ता एजेन्सी को परियोजना के निर्माण हेतु दिये जाने पर कोई आपत्ति नही है।

प्रमाणित किया जो सत्य एवं सही है

ग्राम पंचायत विकास अधिकारी
ह0/
ग्राम सचिव
वि0ख0 – गरूड़ (बागेश्वर)
उत्तराखण्ड

आन्नी देवी
प्रधान
ग्राम पंचायत अमस्यारी
ह0/
वि. ख. गरुड़ जिला- बागेश्वर
ग्राम प्रधान

नोटः– * यदि किसी आदिवासी अथवा वनवासी की निजी भूमि प्रभावित हो रही है तो तद्नुसार उसका विवरण उक्त प्रपत्र में दिया जाय। उक्त प्रपत्र उप जिलाधिकारी की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा प्राप्त कर प्रयोक्ता एजेन्सी को उपलब्ध कराया जायेगा।

प्रपत्र–23.1

दिनाक 29/11/14 को ग्राम सभा की सम्पन्न बैठक की उपस्थिति

ग्राम पंचायत – अमस्यारी

क्र0 सं0	ग्राम सभा में उपस्थित वरिष्ठ ग्रामवासियों के नाम	हस्ताक्षर
1	उमाकान्त जोशी	[illegible]
2	शान्ती देवी	शान्ती देवी
3	दयाकिशन जोशी	[illegible]
4	मदनमोहन	[illegible]
5	मोहन जोशी	मोहन जोशी
6	कमला पाण्डे	कमला
7	गिरीश चन्द्र	[illegible]
9	पूरन चन्द्र	पूरन चन्द्र
10	गोपाल सिंह	[illegible]
11	हरीश जोशी	

ग्राम पंचायत विकास अधिकारी
ग्राम पंचायत अमस्यारी
वि0ख0 – गरुड़ (बागेश्वर)
उत्तराखण्ड

शान्ती देवी
प्रधान
ग्राम पंचायत अमस्यारी
वि. ख. गरुड़ जिला- बागेश्वर

प्रपत्र–23.2

परियोजना का नामः– एस0सी0पी0 के अन्तर्गत जनपद बागेश्वर में वज्यूला– मवई–हरिनगरी मोटर मार्ग निर्माण में प्रभावित होने वाली वनभूमि का लोक निर्माण विभाग को हस्तान्तरण किये जाने हेतु।

कार्यालय उप जिलाधिकारी, गरूड़
अनुसूचित जनजाति और परम्परागत बनवासी अधिनियम 2006 के तहत् प्रमाण पत्र

उपखण्ड स्तरीय समिति– गरूड़

उपखण्ड गरूड़ परिक्षेत्र के अन्तर्गत वज्यूला–मवई–हरिनगरी मोटर मार्ग (परियोजना) के निर्माण हेतु (1.939 है0 आरक्षित वनभूमि 0.00 है0, सिविल सोयम वन भूमि, 3.010 है0, वन पंचायत भूमि (अर्थात कुल 4.949 है0 वन भूमि) लोक निर्माण विभाग (प्रयोक्ता एजेन्सी) के पक्ष में हस्तान्तरित किये जाने हेतु अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वनवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 अन्तर्गत उपखण्ड स्तरीय समिति (तहसील गरूड़) की दिनांक 19.12.2015 को सम्पन्न बैठक की कार्यवाही का विवरण।

अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता अधिनियम 2006 एवं नियम 2008 के अन्तर्गत उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समति की बैठक सी0एस0डोभाल, उपजिलाधिकारी एवं अध्यक्ष उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति गरूड़ की अध्यक्षता में आयोजित की गयी। बैठक में माननीय सदस्यों की उपस्थिति निम्नानुसार है।

1–	श्री सी0एस0डोभाल	उपजिलाधिकारी	अध्यक्ष
2–	श्री एस0एन0 त्रिपाठी	उप प्रभागीय वनाधिकारी	सदस्य
3–	श्री खड़क सिंह रावत	सहायक समाज कल्याण अधिकारी	सदस्य/सचिव
4–	श्रीमती कमला देवी	बी0डी0सी0 क्षेत्र नौगांव	सदस्य कमला देवी

उपखण्ड सचिव द्वारा माननीय सदस्यों का बैठक में स्वागत करते हुए उप जिलाधिकारी की अनुमति से बैठक की कार्यवाही प्रारम्भ की गई। माननीय सदस्यों को अवगत कराया गया कि वज्यूला–मवई –हरिनगरी मोटर मार्ग (परियोजना) के निर्माण हेतु 4.949 है0 भूमि लोक निर्माण विभाग (प्रयोक्ता एजेन्सी) के पक्ष में हस्तान्तरित किये जाने हेतु प्रस्ताव माननीय सदस्यों के समक्ष रखा गया। ग्राम सभा के अन्तर्गत वनाधिकार का कोई मामला लम्बित नही है। भूमि का सम्बन्धित ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से पारित प्रस्ताव के आधार पर सार्वजनिक उपयोग हेतु प्रत्यावर्तन की अनुषंसा की गई है।

सम्बन्धित उप प्रभागीय वनाधिकारी वन प्रभाग बागेष्वर द्वारा अनुसूचित जनजाति एवं परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं तत्सम्बन्धी नियम 2 के प्राविधानों को स्पष्ट करते हुए जानकारी से माननीय सदस्यों को अवगत कराया कि अधिनियम 2006 के अन्तर्गत किसी भी दावेदार का दावा/आवेदन पत्र प्रस्तुत नही किया है। इस सम्बन्ध में ग्राम सभा/पंचायत द्वारा अनापत्ति जारी की जा चुकी है। अतः प्रकरण उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति द्वारा अनापत्ति जारी की जा सकती है।

बैठक में सर्वसम्मति से उपखंड गरूड़ परिक्षेत्र के अन्तर्गत वज्यूला–मवई–हरिनगरी मोटर मार्ग (परियोजना) के निर्माण हेतु 4.949 है0 वन भूमि लोक निर्माण विभाग (प्रयोक्ता एजेन्सी) को जनहित में सक्षम प्राधिकारी से अनुमति प्राप्त कर प्रत्यावर्तित किये जाने पर सहमति व्यक्त की गयी।

उप जिलाधिकारी / अध्यक्ष
उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति
तहसील गरूड़
जनपद बागेश्वर

प्रतिलिपि, जिलाधिकारी, बागेष्वर को सूचनार्थ एवं आवष्यक कार्यवाही हेतु।

उप जिलाधिकारी / अध्यक्ष
उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति
तहसील गरूड़
जनपद बागेश्वर

प्रपत्र–23.3

जिला स्तरीय वन अधिकार समिति जनपद बागेश्वर

अनुसूचित जनजाति और परम्परागत वनवासी अधिनियम 2006 के तहत् प्रस्ताव

1–	जिलाधिकारी, बागेश्वर	अध्यक्ष
2–	प्रभागीय वनाधिकारी, बागेश्वर	सदस्य
3–	जिला पंचायत सदस्य वज्यूला	सदस्य
4–	जिला समाज कल्याण अधिकारी	सदस्य / सचिव

आज दिनांक 19-12-14......को जिलास्तरीय वनाधिकार समिति की बैठक जिलाधिकारी महोदय बागेश्वर की अध्यक्षता में आहूत की गयी।

उपखण्ड स्तरीय वनाधिकार समिति गरूड़ के प्रमाण पत्र दिनांक 19.12.2014 द्वारा वज्यूला–मवई–हरिनगरी मोटर मार्ग निर्माण के लिए 4.949 है0 भूमि आवंटन हेतु अनापत्ति प्रस्तुत किये जाने हेतु प्रकरण प्रस्तुत किया गया। उपखण्ड स्तरीय वनाधिकार समिति द्वारा वज्यूला–मवई–हरिनगरी मोटर मार्ग के लिए वनभूमि परिवर्तित किये जाने को प्रस्ताव प्राप्त हुआ।

जिलास्तरीय वनाधिकार समिति जनपद बागेष्वर द्वारा उपखण्ड स्तरीय वनाधिकार समिति गरूड़ के उक्त प्रस्ताव पर विचार विमर्ष किया गया। वनभूमि के स्वरूप को परिवर्तन कर वज्यूला–मवई–हरिनगरी मोटर मार्ग के लिए 4.949 है0 उपलब्ध कराये जाने का निर्णय लिया गया है तथा वज्यूला–मवई–हरिनगरी मोटर मार्ग के लिए 4.949 है0 भूमि को लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन किये जाने हेतु अनापत्ति दी गई। वन अधिकार अधिनियम 2006 के तहत् व संलग्न प्रमाण पत्रों के अनुसार परियोजना के निर्माण में किसी अनुसूचित जनजाति व वनवासी की भूमि अधिग्रहित नही हो रही है। परियोजना के निर्माण से प्रभावित होने वाली वनभूमि में कोई भी दावा लम्बित नही है।

जिला समाज कल्याण अधिकारी, बागेश्वर	प्रभागीय वनाधिकारी बागेश्वर	जिलाधिकारी बागेश्वर

जिला अधिकारी कार्यालय

प्रपत्र 23.3

परियोजना का नामः– एस0सी0पी0 के अन्तर्गत जनपद बागेश्वर में वज्यूला– मवई– हरिनगरी मोटर मार्ग निर्माण में प्रभावित होने वाली वनभूमि का लोक निर्माण विभाग को हस्तान्तरण किये जाने हेतु।

जिलाधिकारी द्वारा प्रदत्त प्रमाण–पत्र

जनपद बागेश्र के अन्तर्गत वनभूमि पर प्रस्तावित वज्यूला–मवई–हरिनगरी मोटर मार्ग (परियोजना) के निर्माण हेतु 4.949 है0 वन भूमि लोक निर्माण विभाग (प्रयोक्ता एजेन्सी) को प्रत्यावर्तित किये जाने हेतु उप जिलाधिकारी/ अध्यक्ष उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति गरूड़ तथा सम्बन्धित ग्राम सभाओं द्वारा प्रदत्त अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत किये गये है। वन अधिकार अधिनियम 2006 के तहत व संलग्न प्रमाण पत्रों के अनुसार परियोजना के निर्माण में किसी अनुसूचित जनजाति व वनवासी की भूमि अधिगृहित नही हो रही है। परियोजना के निर्माण से प्रभावित होने वाली वनभूमि में कोई भी दावा लम्बित नही है।

दिनांक 19.12.2014

(भूपाल सिंह मनराल)
जिलाधिकारी
बागेश्वर
मुहर

जिला अधिकारी
बागेश्वर

नोटः– उक्त प्रपत्र उप जिलाधिकारी की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा प्राप्त कर प्रायोक्ता ऐजेन्सी को उपलब्ध कराया जायेगा।
सड़क निर्माण, नहर निर्माण, पारेषण लाईन, ओ.एफ.सी. केबिल, पाईप लाईन बिछाने आदि प्रयोजनों को भारत सरकार द्वारा वन अधिकार अधिनियम 2006 के प्राविधानों से मुक्त कर दिया गया है। उक्त प्रकरणों में प्रमाण पत्र संख्या 23, 23.1, 23.2 व 23.3 प्रस्ताव के साथ संलग्न नहीं किये जाने है। उक्त प्रयोजनों हेतु तैयार किये गये वनभूमि हस्तान्तरण प्रस्तावों के साथ जिला अधिकारी द्वारा प्रमाण पत्र संख्या 23. 4 संलग्न किया जायेगा।

प्रपत्र–23.4

परियोजना का नामः– राज्य योजना के अन्तर्गत जनपद बागेश्वर में वज्यूला–मवई हरिनगरी मोटर मार्ग निर्माण में प्रभावित होने वाली वन भूमि का लोक निर्माण विभाग को हस्तान्तरण किये जाने हेतु।

जिलाधिकारी द्वारा प्रदत्त प्रमाण–पत्र

जनपद बागेश्वर के अन्तर्गत प्रस्तावित वज्यूला–मवई–हरिनगरी मोटर मार्ग (परियोजना) के निर्माण हेतु 4.949 है0 वन भूमि लोक निर्माण विभाग (प्रयोक्ता एजेन्सी) को प्रत्यावर्तित किये जाने हेतु प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है। भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मन्त्रालय, नई दिल्ली के पत्र संख्या 11–9/ 98–एफ0सी0 दिनांक 05.02.2013 के द्वारा रेखाकार (Linear) प्रयोजनों यथा सड़क, नहर, पारेषण लाईन, ओ.एफ.सी. केबिल व पाईप लाईन बिछाने आदि के प्रकरणों को वन अधिकार अधिनियम 2006 के प्राविधानों से मुक्त किया गया है। विषयगत परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित वन व कृषि भूमि पर आदिकालीन जनजाति समूह (Primitive Tribal Groups) व आदिकालीन कृषि समुदाय (Pre Agricultural Tribal Groups) प्रभावित नहीं हो रहे है।

दिनांक 19.12.2014

(भूपाल सिंह मनराल)
जिलाधिकारी
बागेश्वर
मुहर